"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, गुरुवार दिनांक 17 जनवरी 2013—पौष 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक एफ-8/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/57.—दिनांक 17 जनवरी 2013 को नगर पंचायत रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) के 6 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-8/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. घनश्याम रात्रे, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. रमेश सूर्य, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. राजेन्द्र पाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
4. रामफल सूर्यवंशी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
5. रामबहोरिक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6. रामेश्वर प्रसाद कौशिक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2009, नगर पंचायत रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 17 जनवरी 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत रतनपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 6 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन में भाग लिया था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत रतनपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामबहोरिक, रामेश्वर प्रसाद कौशिक द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामबहोरिक एवं रामेश्वर प्रसाद कौशिक को कारण बताओ सूचना दिनांक 6 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में 15 दिवस में हेतुक दर्शाने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे को दिनांक 12 मार्च 2010 को, रमेश सूर्य को दिनांक 27 मार्च 2010 को, राजेन्द्र पाल को दिनांक 26 मार्च 2010 को, रामफल सूर्यवंशी को 22 मार्च 2010 को तथा रामेश्वर प्रसाद कौशिक को 22 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. रामबहोरिक को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण पुनः कारण बताओ सूचना दिनांक 29 दिसंबर 2011 को जारी की गयी जो दिनांक 18 जनवरी 2012 को सम्यक् रूप से तामील किया गया. अभ्यर्थीगण राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं रामबहोरिक को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः उक्त अभ्यर्थियों राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं रामबहोरिक को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है माना जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 15 सितम्बर 2010 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा विहित रीति से दिनांक 9 सितम्बर 2010 को जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप में दाखिल कर दिया है. अभ्यर्थी के द्वारा अपने जवाब में विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के कारणों का अपने जवाब में तारीखवार उल्लेख करते हुए दर्शाया कि दिनांक 12 नवम्बर 2009 को आवेदक की पुत्री का जन्म समय से पूर्व हुआ. वह जन्म से कमजोर थी. इलाज डाक्टरों से चला. उनकी प्रारंभिक चिकित्सा रतनपुर के डॉक्टरों ने की तथा उसके बाद बिलासपुर के सीनियर डॉक्टरों से कराया. उन्हें दिनांक 2 जनवरी 2010 को सिम्स में भर्ती कराया. माह जनवरी

एवं फरवरी में लगातार बच्चे की बीमारी की वजह से बिलासपुर में रहा, बच्चे की बीमारी के कारण उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी. मई 2010 से 5 जून 2010 तक रायपुर में भर्ती कराया था परन्तु बच्ची को बचा नहीं पाया उनका देहावसान दिनांक 29 जुलाई 2010 से को हो गया. 21 दिन उनके क्रियाक्रम में लग गया. अगस्त 2010 के अंतिम सप्ताह में निर्वाचन व्यय लेखा तैयार कर दिनांक 9 सितम्बर 2010 को दाखिल किया गया है. विलम्ब का कारण सद्भाविक होने से उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया है. अभ्यर्थी के जवाब के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1076 दिनांक 2 नवम्बर 2010 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है. अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है. अभ्यर्थी को आयोग में दिनांक 28 दिसम्बर 2010 को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. शपथपूर्वक बयान में अभ्यर्थी ने अपने जवाब में दर्शाई गई बातों को दोहराते हुए दर्शाया कि अभ्यर्थी पुत्री के माह दिसम्बर 2009 से अगस्त 2010 तक इलाज करवाने तथा पुत्री के मृत क्रियाक्रम में व्यस्त रहा है. अभ्यर्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कतिपय चिकित्सा संबंधी अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है.

5. अभ्यर्थी रमेश सूर्य द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत रतनपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2010 को दाखिल कर दिया था. आयोग से कारण बताओ सूचना प्राप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उक्त निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत कर दिया. अभ्यर्थी के जवाब के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी से अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 72 दिनांक 26 फरवरी 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी रमेश सूर्य द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अत्यधिक विलंब से दिनांक 8 अप्रैल 2010 को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी रमेश सूर्य के अभ्यावेदन में व्यय लेखा दिनांक 17 जनवरी 2010 को सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत रतनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय भेजने में विलंब किया. यह भी उल्लेख किया है कि नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद अभ्यर्थी रमेश सूर्य द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है.

6. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं राम बहोरिक ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है एवं पुन: दिनांक 21-9-2010 को संशोधित प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि नगर पंचायत रतनपुर के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे ने दिनांक 9 सितम्बर 2010 को तथा रमेश सूर्य ने दिनांक 8 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया है. यह भी उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी को दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत रतनपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामबहोरिक एवं रामेश्वर प्रसाद कौशिक द्वारा नियत समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) का उल्लंघन है. यद्यपि अभ्यर्थी घनश्याम रात्रे द्वारा विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है लेकिन वे निर्वाचन व्यय लेखा की प्रस्तुति में हुए विलंब का औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत करने में असफल रहे. अभ्यर्थी के पास निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध था परन्तु निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं करा पाने के संबंध में उन्होंने कोई कारण नहीं दर्शाया है. अत: उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुती हेतु दर्शाये गये कारण को अच्छा एवं औचित्यपूर्ण होना नहीं माना जा सकता. अन्य अभ्यर्थी रमेश सूर्य ने यद्यपि निर्वाचन व्यय लेखा सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर पंचायत रतनपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया है लेकिन वह विहित अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुआ है. उनके द्वारा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी को दिनांक 8 अप्रैल 2010 को दाखिल किया गया. इससे अधिनियम की धारा-32 क (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती. इस प्रकार अभ्यर्थी रमेश सूर्य निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समय पर विहित रीति से दाखिल करने में असफल रहे एवं वे उक्त असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. अन्य अभ्यर्थीगण राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं रामबहोरिक को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के बाद भी उनके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं रामबहोरिक निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अभ्यर्थीगण घनश्याम रात्रे, रमेश सूर्य, राजेन्द्र पाल, रामफल सूर्यवंशी, रामेश्वर प्रसाद कौशिक एवं रामबहोरिक को अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से तीन साल की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 17 जनवरी 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.